

## सूचना

कोल इंडिया लिमिटेड की पुनर्वास एवं पुनःस्थापना नीति, 2012 के अंतर्गत श्रीमती ललिता देवी पति नरेश यादव, श्रीमती रेशमी देवी पति अवधेश यादव, श्रीमती आरती देवी पति अकलेश कुमार यादव, श्री बबलू कुमार पिता सुदामा यादव, श्री उपेंद्र यादव पिता कामेवर यादव, श्री रंजीत कुमार पिता अरविंद यादव, श्रीमती लीला देवी पति जितेंद्र यादव, श्री अरुण यादव पिता उगन यादव, श्री प्रकाश यादव पति नीतू देवी, श्री अरुण कुमार यादव पति इन्दु कुमारी, श्रीमती सबीता देवी पति बजरंगी कुमार और श्री नितीश कुमार पिता गोपाल यादव निवासी ग्राम: आरा, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार(झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: आरा, थाना सं: 55 (रैयाती) खाता सं. 76 के अधीन प्लॉट सं: 366, 890, 891, 897, 898, 901, 1856, 1879, 1979, 367, 496, 564, 468, 696, 702, 703, 731, 706, 707, 1423, 1443, 1837, 1844, 832, 850, 972, 985, 1418, 1419, 1274/2011, 1845, 1851, 1864, 1865, 1866, 708, 1839, 1869, 1921, 1851/2023, 813, 851, 854, 883, 709, 710, 711, 712, 730, 788, 790, 810, 802, 992, 991, 1163, 1323, 1324, 1347, 1548, 1837/2000, 607 & 628, कुल रकबा - 24.00 एकड़ भूमि के अधिग्रहण के एवज में रोजगार का एक प्रस्ताव प्रोसैस किया गया है।

अगर उक्त रोजगार पर किसी भी व्यक्ति का कोई दावा/ आपत्ति हो तो वे इस सूचना के प्रकाशन/ वेबसाइट [http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti\\_empl\\_ind.php](http://www.centralcoalfields.in/indsk/noti_empl_ind.php) पर इस सूचना को डाले जाने की तारीख से पंद्रह दिनों के अंदर सभी दस्तावेजों एवं साक्ष्य के साथ अपनी आपत्ति लिखित रूप में महाप्रबंधक (भूमि एवं राजस्व), सी.सी.एल, राँची के समक्ष उठा सकते हैं।

अगर उक्त पंद्रह दिनों के अंदर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जाएगा कि ग्राम: आरा, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार(झारखण्ड) को सी बी ए, 1957 आधिनियम के तहत ग्राम: आरा, थाना सं: 55 (रैयाती) खाता सं. 76 के अधीन प्लॉट सं: 366, 890, 891, 897, 898, 901, 1856, 1879, 1979, 367, 496, 564, 468, 696, 702, 703, 731, 706, 707, 1423, 1443, 1837, 1844, 832, 850, 972, 985, 1418, 1419, 1274/2011, 1845, 1851, 1864, 1865, 1866, 708, 1839, 1869, 1921, 1851/2023, 813, 851, 854, 883, 709, 710, 711, 712, 730, 788, 790, 810, 802, 992, 991, 1163, 1323, 1324, 1347, 1548, 1837/2000, 607 & 628, कुल रकबा - 24.00 एकड़ भूमि के तहत श्रीमती ललिता देवी पति नरेश यादव, श्रीमती रेशमी देवी पति अवधेश यादव, श्रीमती आरती देवी पति अकलेश कुमार यादव, श्री बबलू कुमार पिता सुदामा यादव, श्री उपेंद्र यादव पिता कामेवर यादव, श्री रंजीत कुमार पिता अरविंद यादव, श्रीमती लीला देवी पति जितेंद्र यादव, श्री अरुण यादव पिता उगन यादव, श्री प्रकाश यादव पति नीतू देवी, श्री अरुण कुमार यादव पति इन्दु कुमारी, श्रीमती सबीता देवी पति बजरंगी कुमार और श्री नितीश कुमार पिता गोपाल यादव यादव निवासी ग्राम: आरा, थाना: बालूमाथ, जिला: लातेहार(झारखण्ड) के रोजगार प्रस्ताव पर कोई भी आपत्ति नहीं है।

  
29/8